महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 2013–14 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

महिलाओं एवं बच्चों के समुचित विकास तथा उनसे सम्बन्धित योजनाओं को विस्तृत रूप देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग दृढ़ संकल्पित है। विभाग द्वारा राज्य व केन्द्र स्तर पर सीधे नियन्त्रण में तथा इसके संरक्षण में कार्य कर रहे हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा हरियाणा महिला आयोग को वित्तीय सहायता देकर तथा अन्य एजैसियों के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चलाई गई। वर्ष 2013–14 के दौरान चलाई गई योजनाओं तथा कार्यक्रमो का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

बजट व्यवस्था

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के वर्ष 2013–14 के मूल बजट में कुल 884.99 करोड़ रू0 की राशि की व्यवस्था की गई, जिसमें से 391.40 करोड़ रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 382.56 करोड़ रू0 नान प्लान तथा 111.03 करोड़ रू0 नान प्लान शीर्षो के अन्तर्गत रखे गये। विभाग का संशोधित बजट 781.86 करोड़ रू0 था, इसमें से 270.40 करोड़ रू0 स्टेट प्लान 382.56 करोड़ रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 128.90 करोड़ रू0 नान प्लान शीर्षो के अन्तर्गत रखे गए। वर्ष 2013–14 में स्टेट प्लान के अन्तर्गत 172.46 करोड़ रू0, सैन्ट्रल प्लान के अंर्तगत 268.76 करोड़ रू0 तथा नॉन प्लान के अन्तर्गत 123.62 करोड़ रू0 अर्थात कुल 564.84 करोड़ रू0 विभिन्न योजनाओं पर व्यय किए गए। वर्ष 2013–14 के दौरान बजट व्यवस्था एवं व्यय विवरण परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है। विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं तथा कार्यक्रमो का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. लाडली

इस योजना के अन्तर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता–पिता को 5000/–रू0 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक दिए जाते हैं। हरियाणा के निवासी/अधिवासी सभी माता–पिता, जिनकी दूसरी बेटी 20–8–2005 को या इसके बाद पैदा हुई है, बिना किसी जाति/समुदाय/धर्म/आय एवं बेटों की संख्या के भेदभाव के, इस नकद प्रोत्साहन के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत राशि को अगस्त, 2008 से लाभपात्रों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की एक योजना में निवेश करना आरम्भ किया है। इस राशि को दूसरी बेटी के नाम माता/पिता/संरक्षक के माध्यम से निवेश किया जाता है। परिपक्व राशि छोटी बेटी की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं अविवाहित रहने पर वर्तमान ब्याज दरों पर लगभग 96000/–रू0 दी जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 5022.27 लाख रू0 की राशि व्यय की गई तथा 97947 परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया गया जिसमे पिछले वर्षो 2009–10 से 2012–13 के लाभपात्रों को दी गई किस्तें भी शामिल हैं ।

2. समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अन्तर्गत राज्य में 21 शहरी परियोजनाओं सहित 148 खण्डों में 25962 आंगनवाडी केन्द्रों जिनमें 512 मिनी आंगनवाडी केन्द्र भी शामिल हैं के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सर्वागिण विकास एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15–45 वर्ष आयु की अन्य महिलाओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवाएं, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा तथा 3 से 6 साल के बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा की सेवाएं समेकित रूप से प्रदान की गई ।

आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	जिला	आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों की संख्या	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
			स्वीकृत	कार्यरत
1	अम्बाला	7	1213	1213
2	भिवानी	12	1916	1916
3	फरीदाबाद	6	1294	1294
4	गुड़गांव	6	1033	1033
5	हिसार	10	1741	1738
6	जीन्द	9	1439	1439
7	कुरूक्षेत्र	6	1075	1075
8	करनाल	7	1482	1482
9	नारनौल	6	1201	1201
10	पानीपत	6	1045	1045
11	पंचकुला	4	534	534
12	रोहतक	6	1004	1004
13	रेवाड़ी	6	1099	1099
14	सोनीपत	9	1482	1482
15	सिरसा	8	1377	1371
16	यमुनानगर	7	1281	1281
17	फतेहाबाद	6	1094	1094
18	झज्जर	7	1130	1130
19	कैथल	7	1264	1264
20	मेवात	7	1150	1102
21	पलवल	6	1108	1108
	कुल	148	25962	25905

जिलावार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्न प्रकार है :— (मार्च, 2014 की स्थिति)

क.स.	जिला का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता		आंगनवाड़ी सहायिका	
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
1.	अम्बाला	1213	1180	1168	1123
2.	भिवानी	1916	1901	1884	1876
3.	फरीदाबाद	1294	1266	1279	1247
4.	गुड़गांव	1033	1003	1024	1012
5.	हिसार	1741	1680	1721	1616
6.	जीन्द	1439	1424	1434	1417
7.	कुरूक्षेत्र	1075	1070	1044	1020
8.	करनाल	1482	1477	1457	1454
9.	नारनौल	1201	1167	1195	1145
10.	पानीपत	1045	1039	1040	1032
11.	पंचकुला	534	522	401	390
12.	रोहतक	1004	984	1000	979
13.	रेवाड़ी	1099	1077	1082	1059
14.	सोनीपत	1482	1468	1480	1465
15.	सिरसा	1377	1071	1346	1286
16.	यमुनानगर	1281	1219	1245	1182
17.	फतेहाबाद	1094	1073	1077	1039
18.	झज्जर	1130	1100	1123	1086
19.	कैथल	1264	1257	1242	1231
20	मेवात	1150	1075	1120	1058
21	पलवल	1108	1086	1088	1059
	कुल	25962	25139	25450	24776

राज्य की 148 परियोजनाओं में 25905 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 1106082 छः मास से छः वर्ष आयु तक के बच्चों जिसमें 5,21,802 लड़कियां हैं तथा 1,56,911 गर्भवती महिलाओं एवं 1,71,275 दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार दिया गया।

आंगनवाडी केन्द्रों के 0–6 वर्ष के 4,71,664 बच्चों को पोलियो, व डी.पी.टी, 4,43,335 बच्चों को बी.सी.जी., 4,79,332 बच्चों को खसरे से बचाव के टीके तथा 410211 गर्भवती महिलाओं को टी.टी. के टीके लगवाए गए। वर्ष के दौरान 3 से 6 वर्ष के 374820 बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया।

i) आई.सी.डी.एस. योजना को सुदृढ़ तथा पुर्नगठन करना

भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. योजना को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ तथा पुर्नगठन किया गया। जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रबन्धन तथा संस्थागत सुधार, नार्मज में बदलाव तथा 12वीं पंचवर्षिय योजना में आई.सी.डी.एस. योजना को मिशन मोड में लागू करना शामिल है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा 9 जिलों नामतः फरीदाबाद, कैथल, गुड़गांव, पानीपत, यमुनानगर नारनौल, भिवानी, रेवाडी व रोहतक का चयन किया गया। इन जिलों में गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं, बच्चों तथा किशोर बालिकाओं के लिए पौषाहार की संशोधित दरे लागू की जाएगीं। इन जिलों में बच्चों को 6/- रू0 प्रति बच्चा, 7/- रू0 प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता तथा 9/- रू0 प्रति अत्याधिक कुपोषित बच्चों की दर से पूरक पौषाहार प्रदान किया जाएगा।

ii) पूरक पोषाहार

राज्य सरकार द्वारा पूरक पोषाहार जिसमें निर्धारित नोर्मज के अनुसार ओसत पोषक तत्व महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए 600 कैलोरिज एवं 18–20 ग्राम प्रोटीन, बच्चों के लिए 500 कैलोरिज एवं 12–15 ग्राम प्रोटीन, तथा अति कुपोषित बच्चों के लिए 800 कैलोरिज एवं 20–25 ग्राम प्रोटीन, 5/–रू0 की दर से प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता एवं किशोरी बालिकाओं को, 4/–रू0 की दर से प्रति बच्चा एवं 6 रू0/– की दर से प्रति अति कुपोषित बच्चे को प्रदान किया गया।

पूरक पोषाहार में खाने के लिए तैयार पोषाहार जैसे पंजीरी, भरवा पराठा, आलू पूरी, मीठे चावल, मीठा दलिया खिचडी, गुलगुले, चना मुरमुरा, मुंगफली मिक्सचर इत्यादि वितरित किये गये। खाद्य सामग्री तैयार करवाने के लिए हैफड से खाद्य तेल व भारत सरकार से बीपीएल रेट पर चावल तथा गेंहू व राष्ट्रीय लघु उद्योग लि. से डबल फोरटीफाईड नमक तथा अन्य खाद्य सामग्री जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा खरीदने उपरान्त महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार करके, 06 मास से 3 वर्ष तक के बच्चों एवं माताओं को टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दो बार राशन (सुबह स्नैक एवं Meal) वितरित किया गया। खाद्य सामग्री तैयार करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह/मदर ग्रुप को उक्त वित्तीय नार्म्स में से एक रूपये प्रति लाभपात्र प्रति दिन मजदूरी, ईधन, पिसाई इत्यादि के लिए दिया गया ।

iii) पंजीरी प्लांटः–

राज्य में 2 पंजीरी प्लांट गुड़गांव तथा घरौण्डा में चलाये जा रहे हैं जिनमें समेकित बाल विकास सेवायें योजना के लाभपात्रों के लिए पौष्टिक पंजीरी तैयार की जाती है। इन पंजीरी प्लांटों में वर्ष 2013–14 में कुल 19261.91 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया।

पंजीरी प्लांट गुड़गांव में 9566.56 क्विंटल पंजीरी तथा घरौण्डा में 9695.35 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया। वर्ष 2013–14 में पंजीरी प्लांट, गुड़गांव 285 दिन तथा घरौण्डा प्लांट 282 दिन कार्यरत रहा।

iv) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हैल्परों का मानदेय

राज्य सरकार द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5000/–रू0 से बढ़ाकर 7500/– रू0 प्रतिमाह (2700 रू0 केन्द्रीय हिस्सा एवं 300 रू0 राज्य हिस्सा जो कि 90:10 के अनुपात में है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4500 रू0 प्रतिमाह), आंगनवाड़ी हैल्परो का मानदेय 2500 रू0 से बढ़ाकर 3500/– रू0 प्रतिमाह (केन्द्र और राज्य सरकार का 90:10 के अनुपात में 1350 रू0 व 150 रू0 तथा 2000 रू0 राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त) तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3250/–– रू0 से बढ़ाकर 4000/– रू0 (केन्द्र और राज्य सरकार का 90:10 के अनुपात में 2025 रू0 व 225 रू0 तथा 1750 रू0 राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त) कर दिया गया।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्परों की सेवानिवृति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई। भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दो युनिफार्म तथा बैज दिये गये ।

v) साक्षर महिला समूह

साक्षर महिला समूहो द्वारा गांव में मुख्य मुद्दे जैसा कि लिंग अनुपात, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण, स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर, स्वच्छता एवं सफाई, पर्यावरण व सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं व बालिकाओं एवं बच्चों व ग्रामीण समुदाय के विकास की योजनाओं आदि के बारे चेतना जागृत की गई। वर्ष 2013–14 में 6279 साक्षर महिला समूहो पर 14 लाख रू0 व्यय किए गए।

vi) दिवस एवं सप्ताह

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य में स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, बाल दिवस एवं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि मनाए गए। 1 से 7 अगस्त 2014 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया जिसका थीम "Breast feeding : A winning goal for life" था। इस अवसर पर गांव व ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य अमले के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्तनपान के बारे में प्रचार किया गया। 1 से 7 सितम्बर 2014 तक मनाये गये राष्ट्रीय सप्ताह पोषाहार सप्ताह का थीम ''पौषक आहार देश का आधार'' था। इस अवसर पर अच्छे भोजन के बारे में गांव स्तर पर कैम्प लगा कर तथा ब्लॉक स्तर पर विभिन्न स्लोगन प्रतियोगिता, कम मुल्य की रैस्पी व गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं व बच्चों की पोषाहार आवश्यकता बारे प्रचार किया गया।

दिनांक 30.01.2014 को मुख्यमन्त्री आवास, चण्डीगढ में महिला मान–सम्मान समारोह का आयोजन किया गया । समारोह में 21 महिलाओं को 3,09,700/– रूपये के पुरस्कार माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा प्रदान किये गये ।

vii) आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत व्यय

वर्ष 2013–14 के दौरान आई.सी.डी.एस. योजना पर राज्य स्तर एवं केन्द्र स्तर में किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:–(लाख रू0 में)

योजना	स्टेट प्लान	सैन्ट्रल प्लान	नॉन प्लान	कुल
आई.सी.डी.एस.	2456.04	18157.73	11033.65	31647.42
पूरक पोषाहार	6636.95	6636.95	127.61	13401.51
कुल	9092.99	24794.68	11161.26	45048.93

viii) **आंगनवाडी कार्यकत्री बीमा योजना**

भारतीय जीवन बीमा निगम तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आंगनवाडी कार्यकताओं तथा हैल्परों के लिए बीमा योजना का संचालन किया गया। यह योजना 18–59 आयु वर्ग की आंगनवाडी कार्यकर्ताओं व हैल्परों के लिए 2013 तक निशुल्क है। वर्ष 2013–14 में 24 लाभ पात्रों को जिनमें से प्राकृतिक मृत्यु के 16, दुर्घटना में मृत्यु के 2, गम्भीर बिमारी के 6 लाभ पात्रो को 11 लाख 30 हजार रू0 की राशि प्रदान की गई।

IX) **सुरक्षित भविष्य योजना**

राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों तथा हैल्परों के कल्याण हेतु सुरिक्षत भविष्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में 559.68 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 23786 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व 22855 हैल्पर को लाभ प्रदान किया गया।

x) **आई.सी.डी.एस. कार्यकताओं हेतु प्रशिक्षण प्रोग्राम**

आई0सी0डी0एस0 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना एक नियमित गतिविधि है तथा प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में कुल 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे है जिनमें से 8 हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा तथा दो प्रशिक्षण केन्द्र कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि द्वारा रादौर में चलाए जा रहे हैं। वूमैन एवैयरनैस एण्ड मैनेजमैंट अकादमी (वामा), राई जिला सोनीपत के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 सुपरवाईजरों के लिए एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 में 2090 आंगनवाडी वर्करों तथा 50 सुपरवाईजरों को कार्य प्रशिक्षण, 2440 हैल्परों को ओरियन्टेशन कोर्स तथा 414 आंगनवाडी वर्करों, 635 आंगनवाडी हैल्परों व 140 सुपरवाईजरों को रिफ्रेशर कोर्स दिलवाया गया। विभाग के द्वारा नियमित प्रशिक्षण गतिविधियों हेतू 273.54 लाख रूपये जारी किये गये जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

कमांक	संस्था का नाम	राशि (लाख रूपए में)
1.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, चण्डीगढ़	186.54
2.	कस्तूरबा गांधी नैशनल मैमोरियल ट्रस्ट, रादौर I व II	72.00
3.	मिडल लेवल ट्रेनिंग सैन्टर, वामा, राई, (सोनीपत)	15.00
	कुल	**273.54**

3. **आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण**

बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई। सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपने भवनों में चलाये जाने से महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। इस उद्वेश्य की पूर्ति की लिये 8.50 लाख रू0

प्रति आगंनवाडी केन्द्र की दर से भवन निर्माण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 12 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 119.40 लाख रू0 की राशि मजदूर निर्माण बोर्ड द्वारा जारी की गई ।

आंगनवाड़ी केन्द्रों की लोकेशन

कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्र	सरकारी भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र				गैर सरकारी भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र		
	विभागीय भवनों में	सरकारी भवनों में	स्कूलों में	कुल	समुदायिक भवनों में	गैर सरकारी /किराये के भवनों में	कुल
25905	3617	2657	2488	8762	9213	7930	17143

4. किशोरी शक्ति योजना

यह योजना राज्य के 87 आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों में चलाई गई। स्कीम के अन्तर्गत सेवाएं 10 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 मास के लिए 20 किशोरी बालिकाओं का बालिका मण्डल बनाकर प्रदान की गई। लड़कियों को 5.00 रू0 प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से पूरक पोषाहार भी दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 362.98 लाख रू0 व्यय किए गए जिसमें से 302.95 लाख रू0 पूरक पोषाहार पर राज्य सरकार के हिस्से के रूप में व्यय किए गए। योजना के अन्तर्गत 61924 बालिकाओं को पूरक पोषाहार और 61908 बालिकाओं को गृह आधारित कुशलताओं पर प्रशिक्षण देने के साथ–2 स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार एवं बाल देखभाल आदि के ज्ञान से सुसज्जित किया गया।

5. किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

यह योजना 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में चलाई गई। इस योजना से किशोरी बालिकाओं को अपनें विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, प्रजनन, बाल देख–रेख के प्रति जानकारी में सक्षम किया गया तथा स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को ओपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की गई। योजना के अर्न्तगत पोषाहार के तहत 1,36,5934 बालिकाओं को लाभ दिया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2013–14 में 1239.33 लाख रू0 खर्च किए गए।

6. इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, इस योजना के तहत 100 प्रतिशत खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह परियोजना सर्वप्रथम पंचकूला जिले में पायलट परियोजना के रूप में लागू की गई है। जिसके अर्न्तगत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिला

को कवर किया जाता है। प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिला को गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से बच्चें की आयु के छः मास पूरा हो जाने तक लाभप्राप्तकर्ता को 4000/–रू0· की राशि तीन किश्तों में दी जाती थी । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 10 सितम्बर 2013 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 5 जुलाई 2013 से स्कीम मे मातृत्व लाभ को बढ़ा कर 6000/–रू0 कर दिया गया जोकि अब 3000–3000 रू0 की 2 किश्तों में दी जाती है।

गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिला लाभार्थियों को देय राशि हस्तांतरित किए जाने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः 200 एवं 100 रू0 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।

2013–14 तक 3905 लाभप्राप्त कर्ताओं को (किश्तों के आधार) पर कवर किया गया । इनमें से 2915 लाभप्राप्त कर्ताओं को पूर्ण लाभ देते हुए 46.20 लाख रू0 की राशि प्रयोग की गई ।

7. राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग

राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 (1) के अंतर्गत राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय पंचकूला में है। आयोग द्वारा अपना कार्य करना शुरू कर दिया गया तथा आयोग के अध्यक्ष तथा दो सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई।

8. समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)

योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोटेक्शन सोसाइटी के माध्यम से चलाया गया। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट स्पोर्ट यूनिट की स्थापना की गई। बाल देखरेख संस्थानों का उचित मुल्यांकन तथा नियमित निरिक्षण हेतु जिला स्तर तथा राज्य स्तर निरिक्षण कमेटियों को अधिसूचित किया गया। जिला स्तर पर गठित कमेटियों द्वारा 305 तथा राज्य स्तर की कमेटियों द्वारा 95 निरिक्षण किये गये। इस समय राज्य में कुल 101 बाल देखरेख संस्थायें स्वैच्छिक सस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा बच्चों तथा महिलाओ की देख रेख एवं संरक्षण के लिए निम्न होम/गृह चलाये गयेः–

i) **ओबजरवेशन होम, करनालः–** राज्य में 18 वर्ष से कम आयु की विधि का उल्लघंन करने वाली लड़कियों को ओबजरवेशन होम, करनाल में, 25 लड़कों को ओबजरवेशन होम फरीदाबाद में तथा 44–44 लड़कों को ओबजरवेशन होम अम्बाला तथा हिसार में ज्वाईनल जस्टिस बोर्ड के आदेशों से रखे जाने का प्रावधान रहा।

ii) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे गृहः–

(क) आश्रय गृह रिवाड़ी तथा छछरौली

आश्रय गृह रिवाड़ी में संवासियों की क्षमता 25 तथा छछरौली में संवासियों की क्षमता 50 है जिसके विरूद्व वर्ष 2013–14 में रिवाड़ी में 4 तथा छछरौली में 39 संवासियों को प्रवेश दिया गया ।

(ख) बाल गृह रिवाड़ी तथा छछरौली

बाल गृह रिवाड़ी में 50 संवासियों तथा बाल गृह छछरौली में 100 संवासियों की क्षमता के विरूद्व वर्ष 2013–14 में बाल गृह रिवाड़ी में 26 तथा बाल गृह छछरौली में 96 संवासियों को प्रवेश दिया गया तथा 40.00 लाख रू0 सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत किए गए। बाल गृह/आश्रय गृह छछरौली और रिवाड़ी को वर्ष 2013–14 में 28.84 लाख रूपयें का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया।

राज्य के प्रत्येक जिले में संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में बाल कल्याण समितियां गठित की गई है जो उपेक्षित बच्चों के मामलों में विचार करके उन्हें आश्रय गृह छछरौली/रिवाड़ी में प्रवेश हेतु भेजते है। राज्य में निम्न स्वैच्छिक संस्थाओं को बच्चों को गोद लेने हेतु प्लेसमेंट एजैन्सी के तौर पर नोटीफाईड किया गया है :–

1. हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, चण्डीगढ़ – बच्चों को देश/विदेश में गोद देने हेतु।
2. बाल ग्राम राई, सोनीपत–देश में गोद देने हेतु।
3. मैरिएकल चैरिटेबल सोसाईटी देश में गोद लेने हेतू।

iii) बाल कल्याण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित सहायक अनुदान से संबधित योजनाएंः–

(क) वैल्फेयर आफ स्ट्रीट चिल्ड्रन स्कीम

इस योजना के अन्तर्गत गलियों व फुटपाथों पर निम्न स्तर का कार्य करने वाले घुमक्कड़ बच्चे, गैर सरकारी संस्थायें औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, पौष्टिक आहार, व्यवसायिक प्रशिक्षण मुफ्त में उपलब्ध करवाया गया। प्रत्येक प्रोजैक्ट पर अधिकतम 2.96 लाख रू0 प्रथम वर्ष में दिये जाते हैं तथा दूसरे वर्ष में 2.51 लाख रू0 की राशि सहायक अनुदान के रूप में दी जाती है तथा एक प्रोजैक्ट में 100 बच्चों को कवर किया जाता है। आई0सी0पी0एस0 स्कीम में इन्ही बच्चों के लिए Open Shelter के तहत गैर सरकारी संस्थायो को ग्रान्ट दिये जाने का प्रवाधान है।

(ख) निराश्रित एवं अनाथ बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल एवं अन्य बाल कल्याण योजनायें

राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थायें जोकि निराश्रित एवं अनाथ बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला रही है, को कुल व्यय का 90 प्रतिशत सहायता राशि सहायक अनुदान के रूप में प्रदान किया गया तथा शेष 10 प्रतिशत खर्चा संस्थाओं द्वारा स्वयं वहन किया गया। वर्तमान में योजना के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए 1000/–रू0 प्रतिमास प्रति बच्चा की दर से सहायक अनुदान के रूप में स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता राशि बच्चों के रख–रखाव हेतु दी गई। वर्ष 2013–14 में स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार से सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया तथा 622 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

(ग) होली डे होम

होली डे होम सोसायटी, चण्डगीढ़ द्वारा हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति एंव पिछड़े वर्ग अनुसूचित जन जाति एंव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों हेतू स्वैच्छिक संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं के बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में अलग–2 संस्था से बच्चे बुलाकर होली डे होम सोसायटी द्वारा आयोजित किए गए कैम्पों में बच्चों को सैर–सपाटे, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पुरस्कार आदि दिए गए।

(घ) बाल ग्राम राई

बाल ग्राम राई सोनीपत में अनाथ, बेसहारा एवं मीसिंग 0–21 वर्ष तक की लड़कियों को रखे जाने का प्रावधान है। इस संस्था में लड़कियों को उनका पालन–पोषण, शिक्षा, खाद्य सामग्री, वस्त्र, जूते, चिकित्सा प्रशासकीय खर्चे जैसे अमले के वेतन, उच्च शिक्षा, यात्रा खर्च, टेलिफोन बिल, बिजली बिल तथा संस्था के अन्य खर्चो हेतू अनुदान दिया गया। वर्ष 2013–14 में संस्था को 35 लाख रू0 का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया तथा 100 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

(ड) हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन (स्टेट ओर्फनज़)

हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन करनाल में अनाथ एवं बेसहारा 7–18 वर्ष तक के लड़कों को रखे जाने का प्रावधान है। इस संस्था में लड़कों को उनका पालन–पोषण, शिक्षा, खाद्य सामग्री, वस्त्र, जूते, चिकित्सा प्रशासकीय खर्चे जैसे अमले के वेतन, उच्च शिक्षा, यात्रा खर्च, टेलिफोन बिल, बिजली बिल तथा संस्था के अन्य खर्चो हेतू अनुदान दिया गया। वर्ष 2013–14 में 87 बच्चों को लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14 में आबकारी एंव कराधान आयुक्त हरियाणा की कराधान नीति 2013–14 के अनुसार हरियाणा बाल कल्याण परिषद, चण्डीगढ़ को 25 पैसे प्रति बोतल और बियर की बोतल की बिक्री पर प्राप्त हुआ पैसा दो किस्तों में दिया गया। जिसकी प्रथम किस्त 242.00 लाख तथा दूसरी किस्त 287.65 लाख रू0 दी गई।

9. ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार' की योजना चलाई गई । इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक

प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खण्ड की तीन बालिकाओं को
परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खण्ड की तीन बालिकाओं को दिए जाते हैं। इस योजना को संशोधित
क्रमशः 2000/–रु0,1500/–रु0 व 1000/–रु0 पुरस्कार में दिए जाते हैं। इस योजना को संशोधित किया गया है जिसके अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 10+2 कक्षा में पहला, दूसरा व तीसरा
स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी कवर किया गया है जिन्हें क्रमशः 3000/– रू0, 2500/–
रू0 व 2000/– रू0 पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 15.24
लाख रू0 की राशि व्यय की गई तथा 762 बालिकाओं को पुरस्कार दिए गए।

10. शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार

बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना चलाई गई। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के बजट में 20 लाख रू0 की राशि का प्रावधान किया गया।

11. सर्वोत्तम माता पुरस्कार

विभाग द्वारा बच्चों, विशेषकर लड़कियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके भली–भांति पालन–पोषण के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2005–06 में सर्वोत्तम माता पुरस्कार (बैस्ट मदर अवार्ड) की योजना चलाई गई। सर्कल स्तर पर 3 माताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ग्रहण करने पर क्रमशः 500/–रू0, 300/–रू0 और 200/–रू0 के पुरस्कार दिए गए। सर्कल स्तर पर चुनी गई माताओं में से ही खण्ड स्तर पर पुरस्कारों के लिए माताओं को चुना गया। खण्ड स्तर पर 3 माताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ग्रहण करने पर क्रमशः 1000/–रू0, 750/–रू0 और 500/–रू0 के पुरस्कार दिए गए। वर्ष 2013–14 में कुल 3462 माताओं को पुरस्कार दिये गए तथा 26.77 लाख रू0 की राशि आई0सी0डी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत व्यय की गई।

12. महिलाओं के लिए खेल–कूद प्रतियोगिता

महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विश्वास निर्माण हेतू तथा खेल एवं मनोंरजन के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2005–06 में खण्ड स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगता आयोजित करने की योजना चलाई गई। योजना के अंतर्गत 30 वर्ष के ऊपर की महिलाओं/लड़कियों के लिए आलू दौड़, मटका दौड, 100 मीटर दौड़ तथा 30 वर्ष आयु से कम की महिलाओं/लड़कियों के लिए प्रतियोगिताओं में 300 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ तथा 5 कि0मी0 साईकिल दौड़ को शामिल किया गया है। वर्ष 2013–14 में 3042 पुरस्कार प्रदान किये गये तथा 37.06 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

13. घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार

घटते लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले जिलो को प्रति वर्ष प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमशः 5.00 लाख रु0, 3.00 लाख रु0 तथा 2.00 लाख रू0 दिये जाते है। यह धन राशि जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं के विकास पर खर्च की जाती है। वर्ष 2013–14

के दौरान 5.00 लाख रू0 की राशि का प्रथम पुरस्कार कुरूक्षेत्र को, 3 लाख रू0 की राशि का द्वितीय पुरस्कार अम्बाला को तथा 2 लाख रू0 की राशि का तृतीय पुरस्कार जिला यमुनानगर को दिया गया।

14. हरियाणा स्टेट रिर्सोस सैन्टर फॉर वमैन (SRCW)

महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिये हरियाणा स्टेट रिर्सोस सैन्टर फारॅ वूमैंन स्कीम 2013–14 कार्यरत था। हरियाणा स्टेट रिर्सोस सेन्टर द्वारा कैथल में शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लिंग संवेदशीलता, महिलाओ के कानूनी अधिकारों के प्रति जानकारी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन, के तहत महिलाओं व लडकियों को जागरूक किया गया । One stop crises centre for Women गुडगांव एवं फरीदाबाद में तथा एक पूर्ण शक्ति केन्द्र मेवात में शुरू करने हेतू कार्यवाही की गई ताकि महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी हितकारी व अन्य सुविधायें प्रदान की जा सकें ।

3लिंग सवेंदनशीलता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के अर्न्तगत लिंग अनुपात को सन्तुलित करने, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने तथा बालिकाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठाने के लिये_हरियाणा स्टेट रिर्सोस सैन्टर फारॅ वूमैंन द्वारा वर्ष 2013–14 में आंगनवाडी वर्कर, साक्षर महिला समूह, स्वय सहायता समूह, पंच व संरपच तथा सबला बालिकाओं के लिये लिंग सवेंदनशीलता व कानूनी जानकारी के लिये जिला फरीदाबाद, पलवल में 79, जिला कैथल, हिसार, अम्बाला, यमुनानगर में 31 शिविर सबला किशोरियों के लिये लगाये गयें। रोजगार व स्वरोजगार जागरूकता स्पेशल कार्यक्रम के तहत सबला लड़कियों के लिए कैथल जिले में 3 शिवरों का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारियों व महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के लिए महिलाओं व बच्चों के अधिकारों पर आयोजित करवाया गया। पंचकुला के सरकारी स्कूलों में दो वर्कशॉप (कार्यशाला) शिक्षा, स्वास्थय व स्वच्छता विद्यार्थियों के लिए की गई।

15. शून्य सहनशीलता नीति अपनाने व महिलाओं से छेडछाड के विरूद्ध उठाये गये कदम।

विभाग द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, महानिदेशक पुलिस व मण्डल आयुक्तों को हिदायत जारी की गई कि वह महिलाओं तथा बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा से संबंधित केसों को निपटाने के लिए शून्य सहनशीलता नीति को अपनायें।

महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों में जैसे की पुलिस, परिवहन, जनसम्पर्क तथा शिक्षा को सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा घरों तथा धार्मिक स्थानों पर महिलाओं/बालिकाओं के साथ छेडछाड़ रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

16. तेजाब से पीडित महिलाओ के लिए राहत तथा पुर्नवास योजना

विभाग द्वारा तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत तथा पुर्नवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जिला बोर्ड जिसके अध्यक्ष जिला मैजिस्ट्रेट एवं राज्य बोर्ड जिसके अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्री है, के माध्यम से उन तेजाब से प्रभावित पीड़ितों को जो हरियाणा के

निवासी है, सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस योजना को संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार गृह विभाग द्वारा चलाई जा रही पीड़ित मुआवजा योजना के अर्न्तगत देखभाल तथा पुर्नवास हेतू राज्य/जिला लीगल अथोरिटी द्वारा शरीर के किसी अंग का भंग होना तथा प्लास्टिक सर्जरी के लिये 3.00 लाख व शरीर का कोई अंग भंग व प्लास्टिक सर्जरी न होने पर 50,000/– रूपये की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त तेजाब हमले से पीड़ित महिला/लड़की के ईलाज पर होने वाला शत–प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । ईलाज के दौरान यदि तेजाब पीड़ित महिला/लड़की की मृत्यु हो जाती है तो राज्य स्तरीय कमेटी वास्तवितक तथ्यों के आधार पर उसके उत्तराधिकारी को 5.00 लाख रूपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है ।

तेजाब पीड़ित का ईलाज सरकारी/हरियाणा सरकार द्वारा नामित अस्पताल में मुफ्त किया जाता है। वर्ष 2013–14 में 5 लाभपात्रों को 21,76,488/–रूपये की राशि प्रदान की गई।

17. घरेलू हिंसा के विरूद्ध महिला सुरक्षा अधिनियम

हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक जिला पुलिस मुख्यालय पर महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए गए है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह रोकथाम अधिकारी की नियुक्ति की गई है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पीडितों को सहायता प्रदान करने के लिये हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड, जिला रैडक्रास समितियों, जिला बाल कल्याण परिषदों आदि 24 संगठनों को सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई को संरक्षण एवं प्रतिषेध अधिकारियों के प्रशिक्षण एंव क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा गया। 2013–14 में टाटा इंस्टीट्यूट आफ सार्शल साइंस द्वारा हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, करनाल में संरक्षण एवं प्रतिषेध अधिकारियों व सेवा प्रदात्ताओं को 2 दिन की ट्रेनिग दी गई ।

वर्ष 2013–14 में संरक्षण अधिकारियों द्वारा घरेलू हिंसा के तहत 7359 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 3262 केसों में घरेलू हिंसा रिपोर्ट भरी गई। 827 केसों में पीडित महिलाओं के अनुरोध पर न्यायालय में केस, 2558 केसों को मध्यता के माध्यम से सुलझाया गया तथा गांव, खण्ड व जिला स्तर पर 1030 जागरूक गतिविधियों का आयोजन किया गया। बाल विवाह से सम्बन्धित 341 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 202 बाल विवाह रूकवायें गये तथा 46 शिकायतों को पुलिस विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजा गया था।

18. कामकाजी महिला होस्टल

कामकाजी महिलाओं को किफायती दरों पर सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के 14 जिलों में 16 कामकाजी महिला होस्टल रैडक्रास सोसाइटी/नगरपालिकाओं/संस्थाओं द्वारा अम्बाला (2), भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार (2), जीन्द, जगाधरी, करनाल, कुरूक्षेत्र, पंचकूला, रोहतक (2), रिवाड़ी, पानीपत तथा सिरसा में चलाए जा रहे है ।

19. महिला मण्डलों से सम्बन्धित योजनांए

महिला मण्डलों से संबंधित योजनाओं जिनके नाम महिला मण्डल सम्मेलन योजना, महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार, अन्तर्राज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यकम है, चलाई गई। महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को घर से दूर अन्य राज्यों में ले जाकर महिलाओं से संबंधित आर्थिक उद्योग–धन्धों आदि के बारे में विचार विर्मश करके व दिखाकर लाभ उठायें जाने का अच्छा मौका प्रदान किया गया। इन महिलाओं को रास्ते में पढ़ने वाले ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी करवाया गया। महिला मण्डलों को 5000/– रू0 प्रति महिला मण्डल प्रति वर्ष वित्तिय सहायता दी गई। वर्ष 2013–14 के दौरान अन्तर्राज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम के लिए 26.25 लाख रू0, महिला मण्डल अवार्ड के 3.36 लाख रू0, महिला मण्डल सम्मेलन के लिए 3.15 लाख रू0 की राशि जिला कार्यकम अधिकारियों को जारी की गई।

20. परिणाम ढांचा दस्तावेज (आर.एफ.डी.)

महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को सुदृढ बनाने के लिए विभाग ने परिणाम ढांचा दस्तावेज तैयार किया है जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, 6 वर्ष से कम बच्चों का संरक्षण एवं विकास, आंगनवाडी केंद्रो का सुलभीकरण, कानून एवं कार्यकमो के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, स्वास्थ एवं जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से किशोरियों का सशक्तिकरण करना आदि विषयो को प्राथमिकता दी गई है।

परिणाम ढांचा दस्तावेज के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत हो रही उपलबधियां की निगरानी उच्च स्तर के प्रबंधन द्वारा की जा सकती है। दस्तावेज की प्रगति का मुल्यांकन त्रैमासिक किया गया।

21. संचार एवं प्रचार

लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने, सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने, महिलाओं तथा बालिकाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए संचार एवं प्रचार के अन्तर्गत व्यापक स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियां शुरू की गई है। अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस, स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, बाल दिवस व राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अखबारों में विज्ञापन देकर महिलाओं एवं बालिकाओं की योजनाओं का प्रचार किया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में 11.75 लाख रूपये की राशि व्यय की गई।

विभाग में एक लघु पुस्तकालय भी है जिसमें वर्ष 2013–14 के अन्त तक 2705 पुस्तकें थी।

22. अमला

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के नियन्त्रण में जो योजनाएं हैं, इनके अन्तर्गत मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अमले की स्थिति को परिशिष्ट–'ख' पर दर्शाया गया है।

23. चौकसी

वर्ष 2013–14 में चौकसी से सम्बन्धित मामलों की रिपोंट शून्य है।

24. हरियाणा महिला विकास निगम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाओं के विकास की गतिविधियों को विकसित करने, जागृति जागरण, व्यवसायिक प्रशिक्षण व स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संस्थागत वित्त का प्रबन्ध करने हेतू हरियाणा महिला विकास निगम कार्यरत है। निगम की अधिकृत हिस्सापूंजी 15 करोड़ रु0 है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में निगम को सब्सीडी के लिए 300.00 लाख हिस्सा पूंजी तथा प्रशासनिक खर्चा के लिए 200.00 लाख रू0 व्यय की मदो हेतू स्वीकृत किए गये।

वर्ष 2013–14 में ऋण योजना के अन्तर्गत 554 महिलाओं को कवर किया गया।

(क) बालिका शिक्षा ऋण योजना

राज्य सरकार द्वारा लड़कियों/महिलाओं के लिए आसान शिक्षा ऋण योजना लागू है जिसके अन्तर्गत लड़कियों/महिलाओं को देश/विदेश में उच्च शिक्षा जैसे कि ग्रेजुएट/पोस्ट–ग्रेजुएट/ डाक्टरल/पोस्ट डाक्टरल स्तर के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किये जाते है। जिसमें ब्याज सबसीडी 5 प्रतिशत वार्षिक प्रदान की जाती है। वर्ष 2013–14 में विभिन्न बैंकों द्वारा 1043 लाभपात्रों को ऋण सबसीडी जारी की गई तथा 1 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

(ख) वुमैन अवेयरनैस एण्ड मैनेजमैन्ट अकादमी –'वामा'

राई (जिला सोनीपत) में आधारभूत महिला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए वूमैन अवेयरनैस एण्ड मैनेजमैंट अकादमी 'वामा' चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने इस संस्था को अपग्रेड करके रीजनल लेवल जैण्डर ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट बनाया है जिसमें जैण्डर संवेदनशीलता विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष के दौरान संस्था द्वारा 2090 आंगनवाडी वर्करों को जॉब तथा 2450 आंगनवाडी हैल्परों को ओरियनटेशन ट्रैनिग व 50 सुपरवाईजरों को जॉब प्रशिक्षण तथा 414 आंगनवाडी वर्कर व 635 हैल्परों को रिफरेसर ट्रैनिग दी गई।

25. हरियाणा राज्य महिला आयोग

महिलाओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने तथा उनके समुचित विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 3055–एस0 डब्ल्यू0 (4) 99, दिनांक 20–12–99 के अन्तर्गत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। राज्य सरकार ने महिला आयोग को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा महिला आयोग अधिनियम 2012 बनाया जो 26 जनवरी 2013 से लागू है। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 गैर सरकारी सदस्य, 2 पदेन सदस्य एवं सदस्य सचिव शामिल है। वर्ष 2013–14 में आयोग को कुल 642 शिकायतें प्राप्त हुई जिनका निपटान किया गया है। इसके अतिरिक्त

समाचार पत्रों में छपी खबरों में 476 मामलों में संज्ञान लिया गया। वर्ष 2013–14 में सरकार द्वारा आयोग को जारी 48.00 लाख रू0 की राश्शि का व्यय हुआ।

26. हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को मुख्यालय स्थापना व्यय का 50 प्रतिशत तथा चेयरमैन के भत्ते, पी.आे.एल, आदि के व्यय के लिए शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2013–14 में समाज कल्याण बोर्ड को 59.00 लाख रु0 की राशि मुख्यालय स्थापना के लिए तथा चेयरमैन के व्यय के लिए प्रदान की गई।

27. विधवा एवं निराक्षित महिलाओं के प्रशिक्षण केन्द्र

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा रोहतक, करनाल व फरीदाबाद में विधवा/निराक्षित महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के लिए गृह चलाये जा रहे है। इन गृहों में प्रारम्भ में 3 वर्ष एवं विशेष परिस्थिति में 2 वर्ष का कार्यकाल बढाने अर्थात अधिकतम 5 वर्ष रखने का प्रावधान है। इन गृहों मे नौजवान विधवा महिलाओं तथा ऐसी महिलायें जिनके पति द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया हो तथा उनका कमाऊ पुत्र न हो, न ही कोई पुरूष रिश्तेदार सहायता करने वाला हो को प्रवेश दिया जाता है। ऐसी महिलाओं जिनके पति क्षयरोग जैसी भंयकर बीमारी से पीड़ित हों अथवा मानसिक रोग से पीड़ित हो तथा कमाने की स्थिति में नही और उनके परिवार की देखभाल करने वाला कोई न हो को भी प्रवेश दिया जाता है। निराक्षित लड़कियों जिनका कोई ना हो उनकी शादी या रोजगार मिलने तक जो भी पहले हो प्रवेश दिया जाता है। ऐसी महिलाएं जिनका बच्चे 16 वर्ष से कम है, को संस्था मे प्रवेश दिया जाता है। इन गृहों में संवासियों को आवास, शिक्षण–प्रशिक्षण की सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक संवासी को 600/– रू0 प्रतिमास गुजारा भत्ता व 150/– रू0 प्रतिमास प्रति व्यक्ति कपड़ा भत्ता दिया जाता है। अकेली महिला संवासी को प्रतिमास 700/– रू0 गुजारा एवं 150/– रू0 कपड़ा भत्ता दिया जाता है। संवासियों को गृह के अंतर्गत चलाये जा रहे प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह अपनी आमदनी में बढ़ौतरी कर सके। शादी योग्य लड़कियों की शादी में 15,000/– रू0 सहायक अनुदान के रूप में दिये जाते है वर्ष 2013–14 में उपरोक्त संस्थाओं में लाभपात्रों की स्थिति निम्न प्रकार थी:–

क्र0 सं0	संस्था का नाम	संवासी	आश्रित	कुल लाभपात्र
1.	महिला आश्रम, रोहतक	40	46	86
2.	महिला आश्रम, करनाल	46	50	96
3.	कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद	15	20	35
	कुल	101	116	217

वर्ष 2013–14 में इन संस्थाओं पर कुल 144.92 लाख रू0 खर्च हुए।

28. राजकीय उत्तर रक्षा (कन्या) करनाल

महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा एक राजकीय उत्तर रक्षा (कन्या) करनाल (नारी निकेतन) चलाया जा रहा है। इस संस्था में 18 वर्ष/18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं/लड़कियों को जिन्हें सुधार गृहों से रिहा किया जाता है और उनको नैतिक खतरों से सुरक्षा की आवश्यकता हो तथा किसी कठिन स्थिति में कोर्ट के माध्यम से प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। इस संस्था में संवासियों को आवास, भोजन, वस्त्र आदि सभी सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है और उसे समाज का अच्छा नागारिक बनाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये जाते हैः–

1. अविवाहित लड़कियों/युवा महिलाओं की योग्य व्यक्तियों के साथ शादी करना।
2. योग्यता अनुसार किसी एक क्षेत्र में प्रशिक्षण दिलवाना।
3. उनके माता–पिता या संरक्षकों के पास वापिस भेजना आदि।
4. विवाह योग्य संवासी के विवाह के समय 15,000/– रू0 की (12,000/– रू0 शादी खर्च व 3000/– रू0 संवासी के नाम अवधि जमा के रूप में) सहायता प्रदान करना।

वर्ष 2013–14 के दौरान 421 संवासियों को प्रवेश दिया गया। संस्था में प्रतिदिन कोर्ट के माध्यम से संवासी प्रवेश/रिहा किये जाते है। वर्ष 2013–14 में इस योजना पर 36.17 लाख रू0 खर्च किये गये।

DIRECTORATE OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT, HARYANA, CHANDIGARH EXPENDITURE UPTO 31-03-2014													
BUDGET AT A GLANCE (Rs. in Lac)													
S. N.	Name of the Scheme.	Approved Budget 2013-14				Revised Budget 2013-14				Expenditure upto 3/2014			
		State Plan	Cen tral Plan	Non Plan	Total	State Plan	Cen-tral Plan	Non Plan	Total	State Plan	Cen-tral Plan	Non Plan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SOCIAL WELFARE SECTOR												
	I DIRECTION & ADMIN-STRATION												
1	**Staff for Headquarter**	10	0	420	430	10	0	420.5	430.5	3.02	0	389.32	392.34
2	**Communication & Publicity (Planning-cum-Monitoring Cell) & I.T. Plan.**	45	0	0.5	45.5	45	0	0.5	45.5	11.26	0	0.49	11.75
	Total :	55	0	420.5	475.5	55	0	421	476	14.28	0	389.81	404.09
	II. CHILD WELFARE												
3	**I.C.D.S.**												
i	**Best Mothers Award**	26.77	0	0	26.77	26.77	0	0	26.77	25.77	0	0	25.77
ii	**Sport Meet**	41.06	0	0	41.06	41.06	0	0	41.06	39.77	0	0	39.77
iii	**SMS**	15	0	0	15	15	0	0	15	15	0	0	15
iv	**VLC**	14	0	0	14	14	0	0	14	14	0	0	14

v	**Furniture(Small Table Chair)**	200	0	0	200	200	0	0	200	0	0	0	0
vi	**Furniture(For circle offices)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vii	**Swings**	171.67	0	0	171.67	171.67	0	0	171.67	163.75	0	0	163.75
viii	**Sex Ratio**	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
ix	**Nutrition Award**	3.5	0	0	3.5	3.5	0	0	3.5	3.5	0	0	3.5
	Total :ICDS Scheme	482	0	0	482	482	0	0	482	271.79	0	0	271.79
4	**LADLI**	6000	0	0	6000	6000	0	0	6000	5022.27	0	0	5022.27
5	**Jawahar Bal Bhawan.**	0	0	0.1	0.1	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0
6	**Kishori Shakti Yojana.**	0	75	0	75	0	75	0	75	0	59.93	0	59.93
7	**Improving Infants & Young Child Feeing**	20	0	0	20	20	0	0	20	0	0	0	0
8	**Awards for Rural Adolescent Girls**	8	0	0	8	15.24	0	0	15.24	14.93	0	0	14.93
9	**Grant in aid to Volluntary Organisation, Children Village, Chhachhrauli**	0	0	1.25	1.25	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Welfare of Destitute Children services in need of Care & Protection**	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	23.49	23.49
11	**Holiday Homes**	0	0	1.3	1.3	0	0	1.3	1.3	0	0	0	0

12	**S.O.S. Children's Village, Rai (Sonepat)**	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0	35	35
13	**State Orphanage**	0	0	40	40	0	0	10	10	0	0	0	0
14	**Welfare of Street Children**	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Grant in aid to Voluntary Organisation working in the field of Child Welfare (Juvenile Justice Fund)**	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
16	**Skill Building and Rehabilitation of Juvenile-Establishment of workshop, Library, Play Ground etc.**	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
17	**Scheme for Financial Assistance and Support Services to the Victims of Rape**	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0
18	**Rajeev Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG) - SABLA**	0	170	0	170	0	170	0	170	0	19.29	0	19.29
19	**State Commission for Protection of Child Rights**	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50
	Total :	6039	445	228.65	6712.7	6046.24	445	196.4	6687.6	5047.2	79.22	108.49	5234.91

Sr. No.	Name of the Scheme.	Approved Budget 2013-14				Revised Budget 2013-14				Expenditure upto 3/2014			
		State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total
	III. WOMEN WELFARE												
20	**Strengthening of Voluntary Sector (Training-cum- Production Centre & Stipendary Schemes).**	100	0	0	100	629.65	0	0	629.65	529.85	0	0	529.85
21	**Construction of Working Women Hostels.**	0	0	30	30	0	0	20	20	0	0	0	0
22	**Incentive Awards to Mahila Smooh**	0	0	35	35	0	0	32	32	0	0	28.5	28.5
23	**Gender Sensitization.**	17	0	0	17	17	0	0	17	13.96	0	0	13.96
24	**Distt. & Block Level Staff of Women Wing.**	0	0	11.96	11.96	0	0	8.29	8.29	0	0	6.86	6.86
25	**Indira Mahila Yojna Rename as Swayamsidha**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Swavlamban (NORAD)**	15	0	0	15	7.76	0	0	7.76	1.94	0	0	1.94
27	**Protection of Women's from Domestic Violence (Setting-up of Cells).**	150	0	0	150	150	0	0	150	95.14	0	0	95.14
28	**Future Security Scheme of Insurance for Anganwadi Workers / Helper.**	400	0	0	400	400	0	0	400	559.69	0	0	559.69

29	**Home-cum-Training Centres for Destitute Women and Widows**	0	0	178	178	0	0	163.55	163.55	0	0	144.36	144.36
30	**Setting up of Vocational Training Centres for Women**	0	0	1.3	1.3	0	0	1.1	1.1	0	0	0.39	0.39
31	**Cash dole to outside Dolees / Informaries.**	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0	0.17	0.17
32	**Maintenance of Home by PWD (B&R).**	0	0	40	40	0	0	4	4	0	0	2.5	2.5
33	**State After Care Home for Girls, Karnal**	0	0	42.9	42.9	0	0	40.8	40.8	0	0	36.17	36.17
34	**Home-cum-Vocational Training Production Centres for Young Girls/ Women and Destitute women and widows. (Grant N0. 8 B&R)**	50	0	0	50	50	0	0	50	49.57	0	0	49.57
35	**Relief & Rehabilitation of women Acid Victims**	25	0	0	25	25	0	0	25	21.76	0	0	21.76
36	**NABARD Loan forconstruction of AWCs. (4235)**	18662	150	0	18812	5332	150	0	5482	0	0	0	0
37	**Financiing for Rashtriya Swasthiya Bima Yojana (RSBY)**	25	0	0	25	25	0	0	25	17.02	0	0	17.02

	IV. OTHER EXPENDITURE												
38	**Grant-in-aid to Haryana State Social Welfare Advisory Board**	0	0	50	50	0	0	59	59	0	0	59	59
39	**Haryana Women Development Corporation.**	0	0	150	150	0	0	200	200	0	0	200	200
	a) Subsidy	300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	300
	b) Share Capital (4235)	50	0	0	50	50	0	0	50	0	0	0	0
40	**Haryana State Commission for Women.**	0	0	41	41	0	0	48	48	0	0	48	48
41	**Financial Assistance to Women Awarnesss & Management Academy (WAMA).**	40	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	40
	Implementation of JJ Act												
42	**Juvenile Boards**	0	0	4.65	4.65	0	0	2.64	2.64	0	0	2.39	2.39
	Total	19834	150	585.01	20569	7026.41	150	579.58	7756	1628.93	0	528.34	2157.27
	Total : State PlanScheme :	**26410**	**595**	**1234.16**	**28239**	**13609.65**	**595**	**1196.98**	**15402**	**6962.2**	**79.22**	**1026.64**	**8068.06**

Sr. No.	Name of the Scheme.	Approved Budget 2013-14				Revised Budget 2013-14				Expenditure upto 3/2014			
		State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total	State Plan	Central Plan	Non Plan	Total
	Sharing basis scheme												
43	ICDS	2500	26613.89	9531.4	38645	2500	26613.89	11322.33	40436	2184.25	18157.73	11033.65	31375.63
44	Setting up of Anganwadi Traning Centres (UDISHA Project)	40	360	0	400	40	360	0	400	31.3	281.79	0	313.09
45	Remand/Observation Home (4235)	0	0	126.42	126.42	700	0	134.75	834.75	175	0	124.59	299.59
46	State After Care Home - cum-Production unit for Boys (Sonepat)	0	0	26.7	26.7	0	0	27.4	27.4	0	0	27.66	27.66

47	Special Home / School (Ambala)	0	0	14.6	14.6	0	0	13.1	13.1	0	0	9.57	9.57
48	**Grant-in-aid to Volluan-try Or-ganisa-tion for setting of Juvenile / Observa-tion Homes under JJ Act**	0	0	40	40	0	0	50	50	0	0	12.15	12.15
49	**ICPS**	344	1031	0	1375	344	1031	0	1375	344	1031	0	1375
50	**State Women Empow-erment Mission**	5	15	0	20	5	15	0	20	0	15.21	0	15.21
51	**Mahatma Gandhi Swav-lamban Pension Yojna**	1	1	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0
	Total sharing basis Scheme	2890	28020.89	9739.12	40650	3590	28020.89	11547.58	43158	2734.55	19485.73	11207.62	33427.9

	Total : Social Welfare sector	29300	28615.89	10973.28	68889	17199.65	28615.89	12744.56	58560	9696.75	19564.95	12234.26	41495.96
	Nutrition Sector												
1	**Supply-mentary Nutrition Pro-gramme (In ICDS).**	8440	8440	130	17010	8440	8440	146	17026	6636.95	6636.95	127.61	13401.51
2	**Kishori Shakti Yojna.**	400	0	0	400	400	0	0	400	302.95	0	0	302.95
3	**Rajeev Gandhi Scheme for Em-power-ment of Adoles-cent Girls (RGSE AG)-Sabla (50:50)**	1000	1000	0	2000	1000	1000	0	2000	610.02	610.02	0	1220.04

4	**Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana**	0	200	0	200	0	200	0	200	0	63.81	0	63.81
	Total : Nutrition Sector:	9840	9640	130	19610	9840	9640	146	19626	7549.92	7310.78	127.61	14988.31
	Grand Total :	39140	38255.89	11103.28	88499	27039.65	38255.89	12890.56	78186	17246.67	26875.73	12361.87	56484.27

परिशिष्ट– 'ख'

महिला एवं बाल विकास निदेशालय की मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों पर 31–3–2013 को अमले की स्थिति:–

क्र. सं.	पद का नाम	मुख्यालय			क्षेत्रीय		
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
	श्रेणी–I						
1	निदेशक, (आई0ए0एस)	1	1	-	-	-	-
2	अपर निदेशक	2	2	-	-	-	-
3	सयुंक्त निदेशक	1	1	-	-	-	-
5.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1	1	-	-	-	-
	श्रेणी–II						
6	उप निदेशंक	4	2	2	-	-	-
7	लेखा अधिकारी	2	2	-	-	-	-
8	प्रचार अधिकारी	1	1	-	-	-	-
9	सहायक जिला न्यायवादी	1	1		-	-	-
10	कार्यक्रम अधिकारी	3	3	-	21	19	2
11	पोषाहारिका	1	1	-	-	-	-
12	अधीक्षक	5	5	-	21	20	1
13	मैनेजर, पंजीरी प्लांट			-	2	2	-
14	बाल विकास परियोजना अधिकारी	-	-	-	148	121	27
	श्रेणी–III						
15	अधीक्षक संस्था	-	-	-	7	6	1
16	उप–अधीक्षक	5	1	4			-
17	अनुभाग अधिकारी	2	2	-	-	-	-
18	निजी सहायक	1	1	-	-	-	-
19	अनुसंधान अधिकारी	1	1	-	-	-	-
20	सहायक प्रभारी	1	1	-	-	-	-
21	तकनीकी सुपरवाईजर	-	-	-	4	4	-
22	आंकडा सहायक	3	3	-	137	92	45
23	सहायक / लेखाकार	36	34	2	185	178	7

24	सुपरवाईजर	-	-	-	1016	785	231
25	सामान्य सुपरवाईजर	-	-	-	2	2	-
26	सुपरवाईजर (होम)	-	-	-	1	1	-
27	वस्त्राकार	-	-	-	3	3	-
28	बुनकर तकनीकी	-	-	-	1	-	1
29	बाटा इन्सट्रक्टर	-	-	-	1	1	-
30	अध्यापक सह सुपरवाईजर बी.ए.बी.एड.	-	-	-	1	1	-
31	चमड़ा तकनीकी	-	-	-	1	-	1
32	अध्यापक बी.ए.बी.एड	-	-	-	2	1	1
33	सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर	2	2	-	-	-	-
34	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	5	0	5	6	0	6
35	स्टैनो टाईपिस्ट	17	6	11	15	11	4
36	चालक	4	5	-1*	133	54	79
37	लिपिक	25	12	13	230	166	64
38	ग्राम सेविका	-	-	-	2	2	-
39	हैड वार्डन	-	-	-	3	2	1
40	वार्डन	-		-	17	13	4
	श्रेणी–IV						
41	सेवादार	25	18	7	185	104	81
42	चौकीदार	1	1	-	82	57	26
43	स्वीपर–कम–चौकीदार	2	2	-	3	2	1
44	श्रमिक	-	-	-	23	22	1
45	हैल्पर	-	-	-	1	-	1
46	स्वीपर	-	-	-	16	12	4
47	माली	-	-	-	5	4	1
48	रसोईया	-	-	-	8	2	6
49	महिला सह सहायक	-	-	-	4	2	-

53777-W&CD-H.G.P., Chd.